सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

(2022-23)

109

सत्रहवीं लोक सभा

एक सौ नौवां प्रतिवेदन

[स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब]

(27 मार्च 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च , 2023/ चैत्र, 1945(शक)

विषय –सूची

		पृष्ठ
समिति (2022-23) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(iv)**
प्रतिवेदन	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब	**01**
	परिशिष्ट	
परिशिष्ट - एक	भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने वाले विभिन्न संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की मौद्रिक सीमा में संशोधन के संबंध में सभी मंत्रालयों/विभागों को कार्यालय ज्ञापन	**17**
परिशिष्ट - दो	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।	**20**
परिशिष्ट - तीन	वर्ष 2019-20 से इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण।	**21**
परिशिष्ट - चार	इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वर्ष 2011-12 से 2021-22 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में कालक्रमानुसार विवरण।	**23**
परिशिष्ट – पाँच	समिति की दिनांक 25 जुलाई, 2022 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	**26**
परिशिष्ट – छह	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की 23.03.2023 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	**29**

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

की संरचना

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सत्यगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के संबंध में समिति का यह एक सौ नौवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. इस सचिवालय के दिनांक 02 जुलाई, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित संशोधित मौद्रिक सीमा के अनुसार, **50 लाख रुपये और उससे अधिक** का आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं को आगामी वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। **10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये** तक का आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के मामले में, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, संसद की जानकारी के लिए अपने वार्षिक प्रतिवेदन में एक विवरण शामिल करें जिसमें दर्शाया जाए कि इनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी निधियाँ प्रदान की गई थी और इनका उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया था। सहायता अनुदान के अलावा, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी विभिन्न प्रयोजनों के लिए भारत सरकार से निधियां प्राप्त कर रही है।

3. समिति द्वारा की गई जांच से पता चला है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के प्रशासनिक क्षेत्र के अधीन इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 से 2019-20 तक के दस्तावेज बार-बार विलंब से सभा पटल पर रखे गए थे। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए आईआरसीएस के अपेक्षित दस्तावेज अभी तक सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं। समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के साथ इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के मामले पर विचार किया और 25 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया ।

4. समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग), भारत सरकार के अधिकारियों को समिति के समक्ष लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
23 मार्च, 2023
02 चैत्र,1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

समिति शाखा – दो

(सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति)

प्रतिवेदन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब

इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी का उद्भव

वर्ष 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की एक शाखा और ब्रिटिश रेड क्रॉस की एक संयुक्त समिति को छोड़कर भारत में प्रभावित सैनिकों को राहत सेवा देने के लिए कोई संगठन नहीं था। बाद में, उस महायुद्ध की भयावहता से पीड़ित सैनिकों के साथ-साथ पीड़ित नागरिकों की सहायता के लिए सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन के सहयोग से बहुत आवश्यक राहत सेवाएं देने हेतु उसी समिति की एक शाखा शुरू की गई थी। ब्रिटिश रेड क्रॉस से स्वतंत्र इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी का गठन करने के लिए 3 मार्च 1920 को सर क्लाउड हिल, वाइसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य, जो भारत में संयुक्त युद्ध समिति के अध्यक्ष भी थे, के द्वारा भारतीय विधान परिषद में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक 17 मार्च, 1920 को पारित किया गया था और 20 मार्च, 1920 को गवर्नर जनरल की सहमति से 1920 का अधिनियम पंद्रह बन गया।

अधिनियम को अंतिम बार 1992 में संशोधित किया गया था और नियम 1994 में बनाए गए थे। भारत के माननीय राष्ट्रपति सोसायटी के अध्यक्ष तथा माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री सोसायटी के चेयरमैन हैं। आईआरसीएस 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की शाखाओं और 1100 जिला और उप-जिला शाखाओं के नेटवर्क के साथ सबसे बड़ी सांविधिक मानवीय संगठन है। पूरे देश में बड़ी संख्या में स्वयंसेवियों का नेटवर्क फैला हुआ है। सोसाइटी, सरकार और सशस्त्र बलों की चिकित्सा सेवाओं के लिए एक सहायक के रूप में काम करती है और जीवन बचाने और आजीविका की रक्षा करने में योगदान देती है, आपदाओं और अन्य

आपात स्थितियों के समय राहत उपलब्ध कराती है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित कराने का प्रयास करती है, सुरक्षित और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देती है, कलंक और भेदभाव को कम कर वंचित लोगों के लिए बेहतरी को सक्षम बनाती है और सामाजिक समरसता को बढ़ाती है, तथा अहिंसा और शांति की संस्कृति का संवर्धन करती है।

आईआरसीएस द्वारा राष्ट्रीय मुख्यालय में प्राप्त निधि के स्रोत-

(एक) विभिन्न संगठनों को किराए पर दी गई संपत्ति के किराए से 30 करोड़ रुपये से अधिक।

(दो) जमा पर ब्याज 6 करोड़ से रुपये से 7 करोड़ रुपये ।

(तीन) इंटरनेशनल कमिटी ऑफ दि रेड क्रॉस (आईसीआरसी) और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस (आईएफआरसी) से 7-9 करोड़ रुपये।

(चार) किसी विशिष्ट आपदा के लिए सहायता, उदाहरण के लिए, कोविड के दौरान, आईआरसीएस को लगभग 160 करोड़ रुपये मिले।

(पांच) जमा और जमा पर ब्याज से .... हमें सदस्यता शुल्क भी मिलता है।

(छह) मंत्रालय से अनुदान के रूप में 36-40 लाख रुपये।

आईआरसीएस के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखे जाने के लिए उपबंध

2. मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि आईआरसीएस के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 238(5) के अनुसार सभा पटल पर रखा जा रहा है।

3. समिति ने वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से मौद्रिक सीमा को संशोधित किया है और इस सचिवालय के दिनांक 2 जुलाई, 2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एलएएफईएएस-सीबी-दो 067/05/2020 के द्वारा इसे सभी मंत्रालयों/विभागों को परिचालित किया। कार्यालय ज्ञापन (ओएम) की एक प्रति परिशिष्ट-एक में दी गई है।

4. निजी तथा स्वैच्छिक संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के संबंध में संशोधित मौद्रिक सीमा में बताया गया है कि:-

*"**50 लाख रुपये और उससे अधिक** की आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को उत्तरवर्ती वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। **10 लाख से 50 लाख रुपये तक** आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के मामले में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में एक विवरण शामिल करना चाहिए जिसमें इनमें से प्रत्येक संगठन को प्रदान की गई निधियों की मात्रा और उनका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया, की जानकारी संसद के सूचनार्थ दी गई हो।"*

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा ने इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 से 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले की जांच की। इन अपेक्षित पत्रों की जांच से पता चला है कि आईआरसीएस, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 को छोड़कर वर्ष 2012-2013 से 2019-2020 तक के अपेक्षित दस्तावेजों को बार-बार विलंब से सभा पटल पर रखा गया था। इसके अलावा, बाद के वर्षों यानी वर्ष 2020-2021 और 2021-22 से संबंधित अपेक्षित दस्तावेजों को अब तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। वर्ष 2012-13 से विलंब की अवधि के साथ आईआरसीएस, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथियों को दर्शाने वाला विवरण ***परिशिष्ट-दो*** में दिया गया है।

6. समिति ने संबंधित विभाग से आईआरसीएस के वर्ष 2015-2016 को छोड़कर वर्ष 2012-2013 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों को बताने के लिए भी कहा। विभाग ने उत्तर देते हुए निम्नवत बताया:-

"वर्ष 2019-20 के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब हुआ है। इससे पहले के वर्षों के दस्तावेजों को पहले ही संसद में रखा जा चुका है। राष्ट्रीय प्रबंध निकाय की बैठक 29.11.2021 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉ. मनसुख मांडविया (माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार) ने की थी, जिसमें वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं को अनुमोदित किया गया था। प्रतिवेदन और लेखाओं को 17.05.2022 को आम सभा में प्रस्तुत किया गया, उस पर विचार किया गया और स्वीकार किया गया है। निविदा प्रक्रिया का पालन करते

हुए अनुवादक को नियुक्त कर प्रतिवेदन और लेखाओं का हिंदी में अनुवाद किया गया था। संसद में सभा पटल पर रखने के लिए 11.07.2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं की 15-15 प्रतियां अंग्रेजी और हिंदी की उपलब्ध कराई गई है।"

7. समिति ने मंत्रालय/विभाग से यह भी पूछा कि क्या उन्होंने उन चरणों को चिह्नित किया है, जिनमें इन सभी वर्षों के दौरान विलंब हुआ था, और यदि हां, तो इसे कम करने का मंत्रालय/विभाग का क्या प्रस्ताव था। मंत्रालय ने उत्तर दिया:-

"(एक) विलंब के कारणों में से एक सांविधिक समितियों से अनुमोदन प्राप्त करने तथा आम सभा द्वारा वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखाओं को स्वीकार करने में विलंब रहा है।

(दो) कोविड महामारी जैसी आपदाएं।"

8. समिति ने जानना चाहा कि क्या मंत्रालय द्वारा अन्य संगठनों से संगत दस्तावेजों को जुटाने और लेखाओं की लेखापरीक्षा पर ध्यान देने और अंत में लेखापरीक्षा प्राधिकरणों (एजी) से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समय पर प्राप्ति के लिए कोई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार किया गया है, मंत्रालय ने बताया:-

"मंत्रालय का संसद अनुभाग सख्त अनुपालन के लिए समय-समय पर वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया संबंधी अनुदेश जारी करता है।"

9. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/संगठन को अपेक्षित दस्तावेजों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की बैठक आयोजित करने से संबंधित किसी प्रक्रियात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, मंत्रालय ने बताया:-

"प्रक्रियात्मक विलंब का अनुभव किया गया है जिसे विलंब विवरण में बताया गया है।"

इसकी एक प्रति **परिशिष्ट-तीन** में है।

10. समिति ने यह भी जानना चाहा है कि लेखाओं के त्वरित और समय पर संकलन को सुसाध्य बनाने के लिए लेखांकन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण की स्थिति क्या है,मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बतायाः-

"आईआरसीएस लेखांकन और अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है जिससे वार्षिक लेखाओं को प्रति वर्ष तैयार किया जा रहा है।"

11. समिति के प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या आईआरसीएस ने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने के लिए कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र का गठन किया है:-

"आईआरसीएस में लेखाओं की लेखापरीक्षा इसके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। आंतरिक लेखापरीक्षा भी एक नियमित प्रक्रिया है और लेखापरीक्षक दैनिक आधार पर भुगतान संबंधी फाइलों की जांच करते हैं। तत्पश्चात, लेखापरीक्षित लेखाओं को कोषाध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लेखापरीक्षक आईआरसीएस के रक्त केंद्र लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं, क्योंकि मंत्रालय के सहायता अनुदान को रक्त केंद्र गतिविधियों के तहत दर्ज किया जाता है।"

12. समिति ने मंत्रालय/विभाग से यह भी पूछा कि क्या इस संबंध में कार्य प्रगति की निगरानी करने और दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में कोई तंत्र है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बतायाः-

"मंत्रालय का संसद अनुभाग सख्त अनुपालन के लिए समय-समय पर वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्देश जारी करता है।"

13. समिति ने यह भी जानना चाहा है कि क्या भविष्य में लेखांकन वर्ष की समाप्ति से निर्धारित नौ महीने के अवधि के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को समय पर सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय और संगठन (आईआरसीएस) द्वारा कोई उपचारात्मक उपाय किए गए है या किए जाने का प्रस्ताव है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बतायाः

"आईआरसीएस ने वर्ष 2019-20 के लिए, संसद में सभा पटल पर रखने के लिए दस्तावेज उपलब्ध करा दिए हैं । संशोधित जीएफआर 238 (5) के अनुसार वर्ष 2020-21 से सभा पटल पर रखने के लिए दस्तावेजो को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।"

14. मंत्रालय द्वारा यह भी बताया गया है-

"जीएफआर 238(5) के अनुसार, आईआरसीएस के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं को वर्ष 2020-21 से संसद के दोनों सदनों में सभा पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता अनुदान राशि 50.00 लाख रुपये से कम है।"

15. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/संगठन/निकाय/संस्थान ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाए, सूचना प्रौद्योगिकी की मदद ली है, मंत्रालय ने अपने उत्तर में बतायाः

"आईआरसीएस लेखांकन और अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है जिससे वार्षिक लेखाओं को प्रति वर्ष तैयार किया जा रहा है।"

16. समिति ने इस मुद्दे पर वर्ष 2015-16 को छोड़कर वर्ष 2012-13 से 2020-21 तक के लिए आईआरसीएस के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार किया और 25.07.2022 को इस मुद्दे पर आईआरसीएस के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

17. समिति ने अपने दैनिक कामकाज के लिए आईआरसीएस द्वारा सृजित निधि के बारे में जानना चाहा, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने साक्ष्य के दौरान बताया कि –

"सोसायटी के राजस्व का प्रमुख स्रोत किराये की आय और जमा राशि पर ब्याज है। .... हमें सदस्यता शुल्क भी मिलता है। सदस्यों को जिला-स्तरीय संरचनाओं के अनुसार नामांकित किया जाता है। हमें सदस्यता शुल्क का 15 प्रतिशत मिलता है। हम

उम्मीदवारों को प्राथमिक चिकित्सा और संबद्ध विषयों के लिए भी प्रशिक्षित करते हैं जहां हमें उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए कुछ पैसे मिलते हैं। हमें अपने मूवमेंट पार्टनर का भी समर्थन मिलता है। हमें रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति (आईसीआरसी) और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ़ रेड क्रॉस (आईएफआरसी) से कुछ समर्थन मिलता है। अन्य भागीदार नेशनल सोसायटी हैं। हमें कैनेडियन रेड क्रॉस आदि से समर्थन मिलता है। इनमें से कुछ नेशनल सोसायटी परियोजना-आधारित सहायता प्रदान करती हैं। हमें सरकारी अनुदान मिलता है जो लगभग रु.35 लाख से रु.40 लाख के बीच होता है। पिछले वर्ष हमें 35 लाख रुपये मिले थे। 2020-21 में हमें 38 लाख रुपये मिले। उससे पहले हमें 40 लाख रुपये मिलते थे। हमें जनता और अन्य संस्थाओं से भी चंदा मिलता है।

पिछले कुछ वर्षों की हमारी औसत वार्षिक आय 40 करोड़ रुपये से 43 करोड़ रुपये के बीच है। इसमें से अधिकांश, ... किराये की आय से आता है। हमें विभिन्न संगठनों को किराए पर दी गई संपत्ति के किराए से 30 करोड़ रुपये से अधिक मिलते हैं। हमारे पास रेड क्रॉस रोड पर एक इमारत है, जो बहुत करीब है। उस बिल्डिंग में ज्यादातर जगह किराए पर दी गई है और यहीं से हमें यह किराया मिलता है। हमारे पास सरप्लस के कारण डिपॉजिट भी है, जो हम जेनरेट करते हैं। हमें जमा के माध्यम से लगभग 6 करोड़ रुपये से 7 करोड़ रुपये मिलते है। अतः 95 प्रतिशत इन दो स्रोतों से आता है; ब्याज, जो लगभग तय है, और किराये की आय भी लगभग तय है।

हमारे पास दिल्ली में एक ब्लड बैंक है, जिसे दिल्ली के सबसे अच्छे ब्लड बैंकों में से एक माना जाता है। कोविड के दौरान हमने रक्त की आपूर्ति बनाए रखी। वहां, हमने 2 से 3 करोड़ रुपये खर्च किए। यह एक सरकारी सेवा है जो हम करते हैं। मंत्रालय से अनुदान 36-40 लाख रुपये के लगभग में है। 40 करोड़ रुपये से अधिक की आय की तुलना में हमारा वार्षिक व्यय लगभग 24-26 करोड़ रुपये है। ..... ब्लड बैंक पर हम 4-5 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। अन्य भागीदार सदस्यों, आईसीआरसी, आईएफआरसी, आदि से हमें मिलने वाली औसत वार्षिक प्राप्ति 7-9 करोड़ रुपये है। हमें किसी भी आपदा विशेष के लिए सहायता मिलती है, उदाहरण के लिए, कोविड के दौरान हमें लगभग 160 करोड़ रुपये मिले, जो इसका हिस्सा नहीं है। इसलिए अगर कोई बड़ी आपदा आती है तो हमें पैसा मिलता है जो उसका हिस्सा नहीं है। यह केवल राष्ट्रीय मुख्यालय का व्यय है।"

18. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि आईआरसीएस के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के क्या कारण थे, मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि-

"...राष्ट्रीय प्रबंध निकाय जो हमारे राष्ट्रीय मुख्यालय को नियंत्रित करता है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री उसके अध्यक्ष हैं। शासी निकाय के सदस्यों द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। 18 सदस्य होते हैं और 18 सदस्य उनमें से एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। प्रबंध निकाय अध्यक्ष की पूर्व स्वीकृति से सोसायटी के प्रबंधन और नियंत्रण कार्यों के लिए नियम बनाता है। महासचिव और कोषाध्यक्ष की नियुक्ति प्रबंध निकाय द्वारा भारत के माननीय राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से की जाती है। हमारे पास मानद कानूनी सलाहकार भी हैं। सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति वार्षिक आम सभा की बैठक के माध्यम से की जाती है जिसकी अध्यक्षता भारत के माननीय राष्ट्रपति करते हैं। "

मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि

"महोदय, जेनरल बॉडी की वार्षिक बैठक भारत के माननीय राष्ट्रपति की अध्यक्षता में होती है। हमें उनसे समय लेना होता है। इससे पहले, यह प्रबंध समिति द्वारा होता है जिसकी अध्यक्षता माननीय मंत्री और वित्त समिति द्वारा की जाती हैं। अब, हम कुछ आंतरिक समयसीमाओं से बाहर आ गए हैं ...

महोदय, इसमें कुछ समस्या है जिसे हम अभी हल करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अब प्रबंध निकाय की बैठक कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास मनोनीत सदस्य नहीं हैं। उनके कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं। इससे पहले निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल समाप्त हो चुके थे। इसलिए, उनके कार्यकाल साथ-साथ समाप्त होने वाले नहीं होते हैं। अब, हमने कहा है कि हमारे पास साथ-साथ समाप्त होने वाला कार्यकाल होना चाहिए. ..

अधिनियम के अनुसार, निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष है और नामित सदस्य का कार्यकाल माननीय राष्ट्रपति के इच्छानुसार होता है। इसलिए हमारे पास मनोनीत सदस्यों के लिए तीन वर्ष और निर्वाचित सदस्यों के लिए दो वर्ष का कार्यकाल है। अब, इस बार हमने यह कहते हुए एक प्रस्ताव भेजा है कि मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के समान होना चाहिए ताकि प्रबंध निकाय के लिए हमारे पास समान शर्तें हों।

हम दोनों श्रेणियों के सदस्यों के लिए एक ही समय सीमा चाहते हैं ताकि हम समय पर एजीएम और प्रबंध निकायों की बैठकें कर सकें।"

19. जेनरल बॉडी, जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं, से आईआरसीएस के अपेक्षित दस्तावेजों का अनुमोदन प्राप्त करना भी मंत्रालय/आईआरसीएस द्वारा बताए गए विलंब के मुख्य कारणों में से एक है। इस संबंध में, समिति 21.11.2008 को प्रस्तुत 14वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) के पैरा 2.7 की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करती है, जिसे निम्नवत प्रतिरूपित किया गया है–

> "2.17 समिति यह भी नोट करती है कि सोसायटी की जेनरल बॉडी जिसकी अध्यक्षता भारत के महामहिम राष्ट्रपति करते हैं, की बैठकों का आयोजन विलंब से किए जाने के कारण वर्ष 1989 से 2003-04 तक के दस्तावेजों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका। समिति की राय में, सोसायटी के दस्तावेजों को अनुमोदित करवाने में विलंब से बचने के लिए मंत्रालय को जेनरल बॉडी की बैठक का आयोजन सही समय पर करने के उपाय करने चाहिए थे। भविष्य में, जेनरल बॉडी की वार्षिक बैठक का समय पर आयोजन करने के लिए उठाए गए कदमों से समिति को अवगत कराया जाए।"

20. समिति द्वारा की गई सिफारिशों के उत्तर में, मंत्रालय ने 15वीं लोक सभा के चौथे प्रतिवेदन में शामिल दिनांक 09.08.2010 के अपने लिखित उत्तर-जिसे दिनांक 24.03.2011 को प्रस्तुत किया गया, में निम्नवत बताया:-

> प्रबंध निकाय ने 6.3.2007 को हुई अपनी बैठक में आम सभा की वार्षिक बैठक आयोजित करने की सिफारिश की। एजीएम का आयोजन करने के लिए दिनांक 08.02.2008 एवं 09.01.2009 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
>
> इसलिए, समिति ने सिफारिश की थी कि: -
>
> ".....यह नोट करना और भी चिंताजनक है कि सोसायटी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा अगस्त, 2010 तक वार्षिक आम बैठक में नहीं रखे गए हैं। यह उल्लेखनीय है, कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के की गई कार्रवाई टिप्पण में दस्तावेजों पर आगे कार्यवाही करने के लिए सोसायटी द्वारा लिए जाने वाले समय और मंत्रालय किस नियत समयावधि तक इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में सक्षम होगा इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। समिति इस स्थिति पर कड़ी आपत्ति करती है और यह आग्रह करती है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि वर्ष 2009-2010 तक के वार्षिक

प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को बिना किसी और विलंब के सभा पटल पर रखा जाए।"

21. समिति ने यह भी जानना चाहा कि क्या इन शाखाओं के लेखाओं को अलग से संकलित किया जाता है या केंद्रीय रूप से समेकित किया जाता है। मंत्रालय ने 17 नवंबर, 2022 के अपने उत्तर में निम्नवत बताया कि:-

(क) इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस) का गठन संसद के एक अधिनियम, नामत: इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी अधिनियम 1920 के XV द्वारा किया गया था। अधिनियम की धारा 4 (क) के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति आईआरसीएस के अध्यक्ष होंगे। अधिनियम की धारा 5 आईआरसीएस के प्रबंध निकाय को सोसायटी के प्रबंधन, कार्यों, नियंत्रण और प्रक्रिया के लिए माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियम बनाने का प्राधिकार देती है ।

(ख) अधिनियम की धारा 5 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन से आईआरसीएस के प्रबंध निकाय ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला शाखाओं के लिए नियम बनाए हैं। अधिनियम की धारा 5(2) के तहत यथा अपेक्षित इन नियमों को संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर भी रखा गया हैं। इन नियमों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रबंध समिति के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल या इनके समकक्ष होंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र शाखा की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। ये नियम यह उपबंध करते हैं कि सोसायटी के वार्षिक लेखाओं के साथ-साथ सोसायटी द्वारा प्रशासित निधि की लेखापरीक्षा पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की जाएगी जिसे लेखाओं के संकलन और प्रमाणन के उद्देश्य से वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में प्रबंध समिति/वार्षिक आम बैठक द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सभी शाखाओं के वार्षिक लेखाओं को राष्ट्रीय मुख्यालय के वार्षिक लेखाओं में संकलित और समेकित नहीं किया गया है। स्पष्ट रूप से, आयकर के भुगतान के लिए सभी शाखाओं के लेखाओं के समेकन के मुद्दे की पूर्व में जांच की गई है। आयकर विभाग ने सीबीडीटी के दिनांक 21.07.1994 के पत्र के आधार पर, वर्ष 2006-07 और 2007-08 के लिए निर्धारण आदेश जारी करते

हुए राज्य/जिला रेड क्रॉस की सभी 700 शाखाओं को राष्ट्रीय मुख्यालय के साथ समेकित करने की मांग की और धारा 11 और 12 का लाभ दिए बिना इन दो निर्धारण वर्षों और प्रति शाखा 1 लाख रूपये की राष्ट्रीय आय को जोड़ते हुए कर देयता में लगभग 11 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी। इस मामले को सीबीडीटी के साथ उठाया गया था और यह स्पष्ट किया गया आईआरसीएस अधिनियम, 1920 (1992 में यथा संशोधित) की धारा 12 के अनुसार कि आईआरसीएस की सभी शाखा समिति स्वतंत्र इकाइयाँ हैं जिन्हें धन प्राप्त करने, उसे अपने पास रखने और जिस प्रयोजन के लिए उचित समझे इसे व्यय करने का अधिकार हैं। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि भारत के विभिन्न न्यायालयों में शाखाओं पर मुकदमा किया गया है और वे अपनी व्यक्तिगत हसियत से अपने नाम से मुकदमा कर रही हैं।

(घ) *केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 19.05.2010 के अपने पत्र संख्या 176/04/2009-आईटीएआई-I के द्वारा विधि मंत्रालय के परामर्श से मामले की फिर से जांच की और यह निर्णय लिया कि आईआरसीएस की सभी शाखा समितियों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अलग इकाइयों के रूप में माना जाए बशर्ते कि वे धारा 12क 80छ के तहत अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों से अलग निकायों के रूप में पंजीकरण कराए। दिनांक 19.05.2010 के पत्र संख्या 176/04/2009-आईटीए-I द्वारा इसे और स्पष्ट किया गया था और विधि मंत्रालय के परामर्श से उक्त मामले की फिर से जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि आईआरसीएस की सभी शाखा समितियों को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अलग इकाइयों के रूप में माना जाए बशर्ते कि वे धारा 12क और 80छ के तहत अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के अधिकारियों से अलग निकायों के रूप में पंजीकरण कराएं उनके दिनांक 24-09-2010 के पत्र क्रमांक 176/04/2009-आईटीए-I के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया था कि बोर्ड द्वारा दिनांक 21.07.1994 के पत्र के माध्यम से लेखाओं के समेकन के लिए जारी किए गए पूर्व निर्देश अब मान्य नहीं हैं और इनका अधिक्रमण कर दिया गया है।*

(ड.) हालांकि, आईआरसीएस की सभी शाखाओं के वार्षिक लेखाओं के संकलन और समेकन के मुद्दे को पहले राज्य/संघ राज्य स्तर पर और उसके बाद केंद्रीय रूप से एनएचक्यू स्तर पर आईआरसीएस के प्रबंध निकाय के समक्ष रखा जाएगा।"

22. समिति ने यह जानना चाहा कि क्या आईआरसीएस का राज्य निकाय आईआरसीएस के राष्ट्रीय मुख्यालय से निधि प्राप्त कर रहा है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने, साक्ष्य के दौरान, समिति के समक्ष निम्नवत बताया:-

"जहां तक राज्यों का संबंध है, कुछ राज्य ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं। हरियाणा राज्य शाखा, गुजरात राज्य शाखा आर्थिक रूप से मजबूत हैं लेकिन कुछ अन्य राज्य शाखाएँ राष्ट्रीय मुख्यालय से मिलने वाले अनुदान पर निर्भर हैं हम परियोजना-आधारित अनुदान के लिए धनराशि देते हैं। अलग-अलग साझेदारों से मिलने वाले 7 से 9 करोड़ रुपये को हम स्वयं व्यय नहीं करते। हमारे पास परियोजना को लागू करने के साधन नहीं हैं। इन्हें राज्य शाखाओं द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसीलिए यह धनराशि उनको दी जाती है।

मंत्रालय/आईआरसीएस के प्रतिनिधि ने आगे बताया –

"हम विभिन्न परियोजनाओं के लिए अनुदान देते हैं। जब भी बाढ़ या चक्रवात जैसी कोई आपदा आती है तो..... हम राहत सामग्री देते हैं। हमें जो आय और संसाधन मिलते हैं उन्हें शाखाओं को उपलब्ध कराकर उनका उपयोग किया जा रहा है लेकिन हम एक निश्चित राशि नहीं देते हैं। दो साल पहले, हम एक योजना लेकर आए कि यदि कोई राज्य शाखा नवोन्मेषी योजना लाती है और जो बुनियादी स्तर पर प्रभावी है तो उस योजना का 80 प्रतिशत वित्त पोषण राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा किया जाएगा और राज्य मुख्यालय को इसमें 20 प्रतिशत योगदान देना होगा ताकि उनके पास भी कुछ स्वामित्व हो। इस प्रकार, हम यह योजना लेकर आए। अधिकांश राज्य शाखाएँ राष्ट्रीय मुख्यालय पर निर्भर करती हैं।"

23. समिति द्वारा विशेष रूप से यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य निकायों द्वारा प्राप्त निधि को आईआरसीएस के केंद्रीय निकाय के वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल किया गया है, मंत्रालय/ आईआरसीएस के प्रतिनिधि ने बताया कि –

"वे ऐसा करते हैं। हमें उनके वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होते है।"

उन्होंने यह भी बताया.....

"महोदय, दो प्रवाह हैं। एक वह है, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे राज्य शाखाओं को उपलब्ध कराया जाता है। इसका हिसाब रखते हैं मैं पूरी तस्वीर पेश कर रहा हूं। एफसीआरए फंड के संबंध में, जो भी फंड निधियां राष्ट्रीय मुख्यालय में आती है, उसे राज्य शाखाओं को प्रदान किया जाता है। हम जो धनराशि प्राप्त करते हैं और जो राज्य सरकारों को प्रदान करते हैं। वो इसमें शामिल है जो धनराशि मैं इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं वो धनराशि राज्य शाखाओं द्वारा प्राप्त की जाती है.... लेकिन यदि हम उन्हें अनुदान प्रदान करते हैं, तो वे व्यय करते हैं। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता हैं वो इसमें शामिल है। इसके बावजूद, मेरे विचार से, यही वह बिंदु है जिसकी हम जांच करेंगे और फिर इसके बारे में बताएंगे।"

टिप्पणियां/सिफारिशें

24. समिति ने इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी (आईआरसीएस) के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की जांच की और यह पाया कि आईआरसीएस के दस्तावेज वर्ष 2015-2016 को छोड़कर वर्ष 2012-2013 से निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं। इस संबंध में समिति द्वारा विलंब के कारणों के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि आईआरसीएस के केवल वर्ष 2019-2020 के अपेक्षित दस्तावेज सभा पटल पर रखा जाना लंबित हैं, हालांकि, आईआरसीएस के पूर्ववर्ती वर्षों के अपेक्षित दस्तावेज पहले ही सभा पटल पर रखे जा चुके हैं। मंत्रालय ने आगे बताया है कि आईआरसीएस के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 238(5) के अनुसार सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक नहीं है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख करता है कि उन निजी और स्वैच्छिक संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर नहीं रखा जाना चाहिए जो 50 लाख रूपय से कम का आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं। इसकी बजाए, जो निजी और स्वैच्छिक संगठन 10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये तक का आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करते हैं, उनके संबंध में भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को इनमें से प्रत्येक निजी और स्वैच्छिक संगठन को प्रदान की गई धनराशि और उक्त धनराशि को उपयोग करने के प्रयोजन को दर्शाने वाला विवरण संसद की जानकारी के लिए अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में शामिल करना चाहिए। इसलिए, उन्होंने समिति के समक्ष

बताया कि चूंकि आईआरसीएस भारत सरकार से 50 लाख रूपय से कम सहायता अनुदान प्राप्त कर रहा है, इसलिए, आईआरसीएस के अपेक्षित दस्तावेजों को आगे से अर्थात वर्ष 2020-21 से सभा पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

समिति ने आईआरसीएस के वर्ष 2020-2021 के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर नहीं रखे जाने के मामले की जांच की और यह पाया कि आईआरसीएस आवर्ती अनुदानों के अलावा केंद्र सरकार, राज्य स्तरीय निकायों या निजी संस्थानों और यहां तक कि कुछ प्राकृतिक आपदा जैसे संक्रामक रोग, बाढ़, भूकंप आदि की स्थिति में विदेश से भी निधि प्राप्त कर रहा है। समिति का मत है कि सामान्य वित्तीय नियमावली का नियम 238(5) उन संगठनों द्वारा लागू किया जाता है जो भारत सरकार से केवल 50 लाख रुपये से कम का आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, हालाँकि, आईआरसीएस विभिन्न प्रयोजनों के लिए भारत सरकार से बहुत अधिक निधि या और अन्य प्रकार की सहायता/दान प्राप्त कर रहा है समिति का यह सुविचारित मत है कि आईआरसीएस के वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षित लेखाओं और अन्य संगत दस्तावेजों को सदन के सभा पटल पर अवश्य रखा जाना चाहिए। समिति चाहती है कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।

25. समिति यह भी नोट करती है कि आईआरसीएस के अपेक्षित दस्तावेजों को उनके सक्षम प्राधिकारियों अर्थात प्रबंध समिति और आम सभा से अनुमोदित कराना भी दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब के प्रमुख कारणों में से एक बताया गया है। समिति को अवगत कराया गया कि निर्वाचित सदस्यों (प्रबंध समिति) का कार्यकाल दो वर्ष और नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष है। निर्वाचित सदस्यों (प्रबंध समिति) और नामित सदस्यों की कार्यकाल अवधि अलग-अलग होने और नए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण प्रबंध समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। हालांकि, इस मुद्दे का समाधान करने के लिए, आईआरसीएस ने एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें बताया गया है कि नामित सदस्य का कार्यकाल निर्वाचित सदस्यों के समान होना चाहिए ताकि हमारे पास प्रबंध निकाय का कार्यकाल एक समान हो।

26. आईआरसीएस के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब का एक अन्य कारण राष्ट्रीय प्रबंध निकाय की बैठकें आयोजित करने में लगने वाला समय था, जिसकी अध्यक्षता

महामहिम भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पिछले आठ वर्षों के दौरान राष्ट्रीय प्रबंध निकाय की बैठकें 2014, 2016, 2020 और मई, 2022 में भी आयोजित की गई थीं। इस संबंध में, समिति मंत्रालय का ध्यान 19वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) और चौथे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) की ओर आकर्षित करती है जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि मंत्रालय को सोसायटी के दस्तावेजों का अनुमोदन प्राप्त करने में विलंब से बचने के लिए आम सभा की बैठक समय पर आयोजित करने के उपाय करने चाहिए जिससे आईआरसीएस के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे जा सकें।

समिति यह नोट करके निराश है कि मंत्रालय वर्ष 2012-2013 से 2019-2020 के दौरान आईआरसीएस के अपेक्षित दस्तावेजों को संसद के सभा पटल पर रखने के लिए पूर्ववर्ती समितियों की उपर्युक्त विशिष्ट सिफारिशों का अनुपालन करने में विफल रहा है। समिति इसे प्रशासनिक मंत्रालय/आईआरसीएस की ओर से एक अनियमितता मानती है, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए, समिति आम सभा से आईआरसीएस के अपेक्षित दस्तावेजों का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में प्रबंध समिति को शक्ति का प्रत्यायोजन करने की पुरजोर सिफारिश करती है जिससे कि इन दस्तावेजों को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखा जा सके।

27. आईआरसीएस के प्रतिनिधियों की जांच करते समय, समिति ने विशेष रूप से यह जानना चाहा कि क्या आईआरसीएस के राज्य निकायों द्वारा केन्द्रीय निकाय से प्राप्त निधियों को आईआरसीएस के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं में शामिल किया गया है। मंत्रालय/आईआरसीएस के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे इस मामले की जांच करेंगे और फिर इसकी जानकारी देंगे। तथापि, इस संबंध में मंत्रालय से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस पर ध्यान देते हुए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि अपेक्षित सूचना यथाशीघ्र समिति को प्रस्तुत की जाए और इसके साथ ही समिति द्वारा यथावांछित अपेक्षित सूचना प्रस्तुत न करने का वैध स्पष्टीकरण भी दिया जाए।

समिति का यह सुविचारित मत है कि भारत की संचित निधि से वित्तपोषित प्रत्येक रुपये की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा अवश्य की जानी चाहिए और समिति के सदस्यों की जानकारी के लिए इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। इसलिए, समिति चाहती है कि इस

मामले को इन राज्य निकायों (आईआरसीएस यूनिट/शाखाओं) के साथ उठाया जाए और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएं कि सरकार से निधियां प्राप्त कर रहे राज्य निकायों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को आईआरसीएस के केन्द्रीय निकाय के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं में शामिल किया जाए। समिति चाहती है कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में उसे जानकारी दी जाए।

28. समिति यह भी सिफारिश करती है कि मंत्रालय को एक 'पोर्टल' तैयार करना चाहिए जिसमें उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के संबंध में अद्यतन स्थिति उपलब्ध कराई जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इस 'सॉफ्टवेयर/डैश बोर्ड' में एक चेतावनी प्रणाली शामिल की जाए, जो संस्थानों को दी गई समय-सीमा के अनुसार प्रत्येक चरण में उनके काम को पूरा करने की समय सीमा से एक सप्ताह पहले चेतावनी दे ताकि सभी संगठनों के अपेक्षित दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे जा सकें। समिति चाहती है कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में उसे जानकारी दी जाए।

29. उपर्युक्त के अलावा, समिति, मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि यदि अपरिहार्य कारणों से, आईआरसीएस के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका, तो आवश्यक दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण 30 दिनों के भीतर अथवा जब भी सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, सभा पटल पर रखा जाए।

नई दिल्ली
23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)

गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

परिशिष्ट-एक

लोक सभा सचिवालय

फैक्स:23010756 **समिति शाखा- दो**
संसदीय सौध भवन **(सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी**
समिति) नई दिल्ली-110001

सं.एलएएफईएएस-सीबी।।067/05/2020-सीबी।। **02 जुलाई, 2020**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने वाले विभिन्न संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखे जाने से संबधित मौद्रिक सीमा में संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से यह निर्णय लिया गया है कि मंत्रालयों/विभागों/संगठनों आदि के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल (लोक सभा) पर रखे जाने से संबधित वर्तमान मौद्रिक सीमा को निम्नवत संशोधित किया जाए:-

वर्तमान मौद्रिक सीमा	संशोधित मौद्रिक सीमा
50 लाख रुपये या उससे अधिक की एकमुश्त सहायता प्राप्त करने वाली सोसायटियों/ संगठनों द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष सभा पटल पर रखना अपेक्षित होता है। **10 लाख रुपये और 50 लाख रुपये** से कम की एकमुश्त सहायता प्राप्त करने वाली सोसायटियों के मामले में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए संसद सदस्यों	**05 करोड़ रुपये या उससे अधिक की एकमुश्त सहायता** प्राप्त करने वाली सोसायटियों/संगठनों को अपने वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संसद के समक्ष सभा पटल पर रखना अपेक्षित होता है। **10 लाख रुपये और 05 करोड़ रुपये से कम** की एकमुश्त सहायता प्राप्त करने वाली सोसायटियों के मामले में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए संसद सदस्यों की

की जानकारी के लिए अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में एक विवरण शामिल करना अपेक्षित होता है जिसमें यह दर्शाया जाए कि इनमें से प्रत्येक सोसायटी को कितनी निधियाँ प्रदान की गई थीं और इनका उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया था।	जानकारी के लिए अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में एक विवरण शामिल करना अपेक्षित होता है जिसमें यह दर्शाया जाए कि इनमें से प्रत्येक सोसायटी को कितनी निधियाँ प्रदान की गई थीं और इनका उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया था।
25 लाख रुपये और उससे अधिक की धनराशि का आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं को उत्तरवर्ती वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। 10 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के मामले में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को संसद की जानकारी के लिए अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में एक विवरण शामिल करना चाहिए जिसमें यह दर्शाया जाए कि इनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी निधियाँ प्रदान की गई थीं और इनका उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया थाI।	**50 लाख रुपये और उससे अधिक** की धनराशि का आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं को उत्तरवर्ती वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। **10 लाख रुपये से 50 लाख रुपये** तक का आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के मामले में, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों /विभागों को संसद की जानकारी के लिए अपने वार्षिक प्रतिवेदनों में एक विवरण शामिल करना चाहिए जिसमें यह दर्शाया जाए कि इनमें से प्रत्येक संगठन को कितनी निधियाँ प्रदान की गई थीं और इनका उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया था।
सभी सांविधिक/स्वायत्त संगठनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसायटियों आदि, जिन्हें संसद की स्वीकृति के पश्चात, भारत की संचित निधि से आहरित निधि से शेयर, राजसहायता, सहायता अनुदान आदि के रूप में, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है, को अपने वार्षिक प्रतिवेदनों /लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखना चाहिए। वर्तमान में ऐसी कोई मौद्रिक सीमा नहीं है जो प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने हेतु	सभी सांविधिक/स्वायत्त संगठनों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसायटियों आदि, जिन्हें संसद की स्वीकृति के पश्चात, भारत की संचित निधि से आहरित निधि से 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक की धनराशि को, शेयर, राजसहायता, सहायता अनुदान आदि के रूप में, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्त पोषित किया जाता है, को अपने वार्षिक प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखना चाहिए। ऐसे मामले में, जहां इन संगठनों आदि को 02 करोड़ रुपये से

अनिवार्य हो।	कम की धनराशि प्राप्त होती है, वहाँ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को संसद की जानकारी के लिए अपने वार्षिक प्रतिवेदन में एक विवरण शामिल करना चाहिए जिसमें यह दर्शाया जाए कि इनमें से प्रत्येक सोसायटी को कितनी निधियाँ प्रदान की गई थी और इनका उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया गया था।

सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी संगठनों/संस्थानों आदि के संबंध में उपर्युक्त संशोधित मौद्रिक सीमा को नोट करें।

ह०/-

(कुशल सरकार)

निदेशक

दूरभाष: **23035**833**/5713**

प्रेषिती

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

परिशिष्ट –दो

इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2012-13 से 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	सभा पटल पर रखे जाने की अपेक्षित तिथि	वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि	विलंब की अवधि (माह)
2012-13	31.12.2013	24.04.2015	15 माह 24 दिन
2013-14	31.12.2014	24.04.2015	03 माह 24 दिन
2014-15	31.12.2015	09.12.2016	11 माह 09 दिन
2015-16	31.12.2016	09.12.2016	कोई विलंब नहीं
2016-17	31.12.2017	05.01.2018	05 दिन
2017-18	31.12.2018	12.02.2021	25 माह 12 दिन
2018-19	31.12.2019	12.02.2021	13 माह 05 दिन
2019-20	31.12.2020	09.12.2022	23 माह 12 दिन
2020-21	31.12.2021	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-
2021-22	31.12.2022	सभा पटल पर नहीं रखा गया	-

परिशिष्ट –तीन

इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी

विलंब विवरण

इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखना।

इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली का गठन वर्ष 1920 में संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था। यह सबसे बड़ा सांविधिक लोकोपकारी संगठन है। यह जन संसाधन और भौतिक संसाधन जुटाकर मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कमजोर लोगों को सेवाएं प्रदान करता है।

इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, अधिनिय 1920 के प्रावधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति, सोसायटी के अध्यक्ष हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी विनियम, 1994 के नियम 4 के अनुसार, सोसायटी की आम बैठक प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की गई तिथि (या तिथियों) को सोसायटी के मुख्यालय में आयोजित की जाती है। सोसायटी की आम सभा की वार्षिक बैठक (एजीएम) में वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत किया जाता हैं, उन पर विचार किया जाता है तथा स्वीकार किया जाता है।

इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, 1920 के अधिनियम XV की धारा 4ख (1) के अनुसार, इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी के प्रबंध निकाय में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:

(क) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाला सभापति ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे;

(ख) अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले छः सदस्य ऐसी अवधि के लिए जिसे वह उचित समझे;

(ग) धारा 5 के तहत प्रबंध निकाय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप दो वर्षों की अवधि के लिए राज्य शाखा समितियों द्वारा बारह सदस्यों का चयन;

यह बताया गया है कि महामारी की परिस्थितियों तथा कोविड-19 राहत कार्यों पर ध्यान देने के कारण, राष्ट्रीय मुख्यालय राहत कार्यों में व्यस्त था। भारत सरकार को विदेश से मिली सभी आपूर्तियां भी इंडियन रेड क्रॉस के माध्यम से भेजी गई हैं।

यह भी बताया गया है कि राष्ट्रीय प्रबंध निकाय की बैठक, डॉ. मनसुख मांडविया (माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री, भारत सरकार) की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2021 को आयोजित की गई थी जिसमें वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं को अनुमोदित किया गया था। प्रतिवेदन और लेखाओं को दिनांक 17 मई, 2022 को हुई वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में प्रस्तुत किया गया , उस पर विचार किया गया तथा इसे स्वीकार किया गया। वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता माननीय सभापति, आईआरसीएस (माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री) द्वारा की गई थी। यह भी बताया गया है कि वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखापरीक्षित लेखाओं का हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है। आगामी मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखने के लिए इन दस्तावेजों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब अपरिहार्य कारणों से हुआ, जिसके लिए अत्यंत खेद है।

परिशिष्ट-चार

मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011-2012 से 20120-2021 के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिये जाने के संबंध में प्रस्तुत कालक्रमानुसार विवरण

विषय / प्रश्न	बिन्दु	पिछले दस वर्षों का वर्ष-वार विवरण									
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(एक)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने की तिथि।	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, एनएचक्यू का वैधानिक ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है। सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति वार्षिक आम बैठक में की जाती है। इसलिए आईआरसीएस लेखापरीक्षा अधिकारियों से संपर्क नहीं करता है।									
	लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय।										
(दो)	सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की तिथि।	27.9.11	27.9.11	03.05.13	18.11.14	18.11.14	30.8.16	मई' 2018 *	23.8.2019 *	15.10.2020	15.10.2020
	लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने के पश्चात लिया गया समय।	नियुक्ति के तुरंत बाद लेखा परीक्षकों से संपर्क किया गया था। *सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी। लेखापरीक्षा मौजूदा लेखापरीक्षकों से करायी गयी थी									
(तीन)	वार्षिक लेखाओं के संकलन की तिथि।	मई -2012	जून -2013	अगस्त -2014	अगस्त-2015	जुलाई-2016	सितम्बर-2017	अगस्त -2018	अगस्त -2019	सितम्बर -2020	सितम्बर-2021
	लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय।	1 माह	3 माह	5 माह	5 माह	4 माह	6 माह	5 माह	5 माह	6 माह	6माह
(चार)	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि।	मई -2012	जून -2013	अगस्त -2014	अगस्त -2015	जुलाई-2016	सितम्बर-2017	अगस्त 2018	अगस्त -2019	अक्टूबर -2020	अक्टूबर-2021
	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय।	1 माह	3 माह	5 माह	5 माह	4 माह	6 माह	5 माह	5 माह	7 माह	7 माह
(पाँच)	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा करने की	1 माह	1 माह	2 माह	2 माह	1 माह	1 माह	2 माह	1 माह	2 माह	1 माह

	तिथि और अवधि।										
(छह)	लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखे तैयार करने के पश्चात लेखापरीक्षकों द्वारा प्रश्न उठाए जाने की तिथि।	अतः लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान कोई लिखित प्रश्न नहीं उठाया गया। हालांकि लेखापरीक्षा के दौरान मौखिक प्रश्न उठाए गए और उनका उत्तर दिया गया									
	लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखे तैयार करने के पश्चात लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से प्रश्न पूछने में लिया गया समय।	अतः लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान कोई लिखित प्रश्न नहीं उठाया गया। हालांकि लेखापरीक्षा के दौरान मौखिक प्रश्न उठाए गए और उनका उत्तर दिया गया									
(सात)	लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्नों का उत्तर दिए जाने की तिथि।	अतः लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान कोई लिखित प्रश्न नहीं उठाया गया। हालांकि लेखापरीक्षा के दौरान मौखिक प्रश्न उठाए गए और उनका उत्तर दिया गया									
	प्रश्नों का उत्तर देने में लिया गया समय।	अतः लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान कोई लिखित प्रश्न नहीं उठाया गया। हालांकि लेखापरीक्षा के दौरान मौखिक प्रश्न उठाए गए और उनका उत्तर दिया गया									
(आठ)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा प्रारूप लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए जाने की तिथि।	इस प्रकार लेखापरीक्षकों द्वारा कोई मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी									
	वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के पश्चात लिया गया समय।										
(नौ)	संस्थान द्वारा अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त किए जाने की तिथि।	15.6.2012	17.7.2013	30.9.2014	29.9.2015	17.8.2016	24.10.2017	8.10.2018	27.9.2019 को हस्ताक्षरित लेखा और 27.9.2020 को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट	26.12.2020 को हस्ताक्षरित खाते और 18.11.2021 को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा	26.11.2021

										दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट	
	प्रारूप प्रतिवेदन जारी करने के पश्चात लिया गया समय।	इस प्रकार लेखापरीक्षकों द्वारा कोई मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी									
(दस)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों द्वारा संस्थान को अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए वार्षिक लेखाओं की प्राप्ति के पश्चात लिया गया कुल समय।	1 माह	1 माह	1 माह	1 माह	1 माह	1 माह	2 माह	1 माह	2 माह	1 माह
नोट: वार्षिक आम बैठक ने आईआरसीएस के वार्षिक लेखाओं को अपनी निम्न बैठक में स्वीकृत किया :											
	एजीएम (एजीएम) में स्वीकृत किए जाने की तारीख	03.05.2013	18.11.2014	18.11.2014	30.8.2016	30.8.2016	15.10.2020	15.10.2020	15.10.2020	17.05.2022	17.05.2022
ध्यान दें: आम बैठक द्वारा विचार किए जाने और स्वीकृत किए जाने के बाद वार्षिक प्रतिवेदन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।											

परिशिष्ट-पाँच

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की दिनांक 25 जुलाई, 2022 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

समिति की बैठक सोमवार, 25 जुलाई 2022 को 15:00 बजे से 17:15 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - *सभापति*

सदस्य

(लोक सभा)

1. डॉ.ए.चेल्लाकुमार
2. श्री पल्लब लोचन दास
3. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
4. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा संयुक्त सचिव -
2. श्री सुंदर प्रसाद दास निदेशक -
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

साक्षी

XX XX XX XX

(तीन) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

श्री राजेश भूषण - सचिव

(चार) भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली

श्री आर.के. जैन - महासचिव

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

xx xx xxx xx

xx xx xxx xx

7. तत्पश्चात, समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वर्ष 2012-2013 से 2020-2021 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के मामले को उठाया

तत्पश्चात, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के साक्षियों को अन्दर बुलाया गया।

8. सभापति ने समिति की बैठक में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची से अवगत कराया सभापति ने साक्षियों को कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 55(1) के प्रावधानों के बारे में भी बताया।

9. सभापति ने वर्ष 2015-2016 को छोड़कर अर्थात जब आवश्यक दस्तावेज निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर रखे गए थे तथा वर्ष 2012-2013 से 2020-2021 तक भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को

संसद में सभा पटल पर रखने में हुए बारम्बार विलम्ब को इंगित किया। महासचिव, आईआरसीएस ने आईआरसीएस के कार्यकलापों के बारे में संक्षिप्त पावर-पॉइंट दिया। समिति को बताया गया कि वार्षिक आम बैठक तथा प्रबंध निकाय की बैठक के आयोजन के कारण विलम्ब हुआ था तत्पश्चात, डॉ. ए. चेल्लाकुमार, संसद सदस्य तथा समिति सदस्य ने प्रतिनिधियों से पूछा कि क्या आईआरसीएस की शाखाएं या राज्य इकाइयां मंत्रालय से या भारत सरकार से दान के रूप में अनुदान प्राप्त कर रही हैं। आईआरसीएस के प्रतिनिधि ने बताया कि उन्हें राज्य इकाइयों से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त हो गए है, लेकिन उन्होंने अभी तक इन्हें संकलित नहीं किया है। केवल राष्ट्रीय मुख्यालय (नई दिल्ली) के लेखाओं को ही सभा पटल पर रखा जाता है। सभापति और डॉ. ए. चेल्लाकुमार, संसद सदस्य, दोनों ने राष्ट्रीय स्तर पर आईआरसीएस के अंतर्गत सभी अधीनस्थ इकाइयों/कार्यालयों के लेखाओं के संकलन की आवश्यकता को दोहराया और इस पर जोर दिया ताकि आईआरसीएस के वार्षिक लेखाओं की तस्वीर समग्र रूप से स्पष्ट हो सके। आईआरसीएस के प्रतिनिधि ने इसे एक अच्छा सुझाव बताया और समिति को यह आश्वासन दिया कि वे इसकी जांच करेंगे।

10. सभापति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों के निष्पक्ष और स्पष्ट विचारों के लिए उनका धन्यवाद किया और उन्हें विशेष रूप से डैशबोर्ड के सृजन सम्बन्धी उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने का आग्रह किया।

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकोर्ड में रखी गई।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट-छह

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)

समिति की *तीसरी* बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 17:10 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - *सभापति*

सदस्य

(लोक सभा)

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल केवर्मा . - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

2. xx xx xx

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 4 मसौदा रिपोर्ट और 8 कार्रवाई की गई मूल प्रारूप प्रतिवेदनों को विचार और अपनाने के लिए लिया: -

1 - 4 xx xx xx

4. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) (आईआरसीएस) प्रशासनिक नियंत्रणाधीन इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब;

5 – 12 xx xx xx

प्रारूप प्रतिवेदनों पर समिति द्वारा विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया था।

Xx	xx	xx	xx
Xx	xx	xx	xx

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।